कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांक 1457 /13– खनस्यू   दिनांक 16/10 2018.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विश्व बैक लो0नि0वि0
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में विश्व बैक पोषित योजना के अर्न्तगत खुटानी –भवाली –धानाचूली ओखलकाण्डा –खनस्यू –पतलोट मोटर मार्ग के किमी085 में खनस्यू रा0मा0सं0 64 में 42 मी0स्पाल क्लास–ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण करने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 848/X–4–18/1 (140)/2018 दिनॉक 28–08–2018। अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून का पत्रॉक 7014 / FP/ UK /ROAD/ 33753/2018 दिनॉक 27–09–2018।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैं ।

1– शर्त न0 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 **1,10,000.00** (रू0 एक लाख दस हजार) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं।

2– शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 13,**140.00**(रू0 तेरह हजार एक सौ चालीस)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं ।

3– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 1 में उल्लेख किया गया हैं कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन **आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोट** किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार **डिमाण्ड नोट** प्रेषित करेंगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा **ऑन लाईन** अपलोट करेंगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन **सत्यापन** किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगें ।

4– शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0की दरों में बढोत्तरी होती हैं तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

5–शर्त न0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेख/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।

6–शासन के शर्त न0 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोष जनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार , पर्यावरण एंव वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित हैं ।

7–शर्त न08 के अनुसार उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी ।

8– उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 2 में उल्लेख किया गया हैं कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन भारत सरकार के forestsclcarance.nic.in पर Online अपने user account **में जाकर** stagell clearance में पहले mutatation की detail **भरकर एंव समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या** Online नोडल अधिकारी देहरादून के कार्यालय को प्रेषित की जानी हैं तथा हार्ड काफी इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। तत्पश्चात् अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रॉक / उक्तदिनॉकित ।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊॅ वृत उत्तराखण्ड नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रॉक / उक्तदिनॉकित ।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी गौला को उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।